पंचायत निगरानी संख्या : 481/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम मंगलसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 481/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/621

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. मंगलसिंह पुत्र नाथुसिंह निवासी दूदनी तह. बाली जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 190/2017–18 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.08.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 190/2017–18 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गईः–

- यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या 01 को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.09.2019 को जारी किया गया है जिसमें निम्न प्रकार की अनियमितताएं बरती गईः–

1. **मंगलसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जाति राजपुत निवासी दूदनी के नाम से ग्राम पंचायत** दूदनी द्वारा पट्टा क्रमांक 47 जरिये मिसल संख्या 190/2017–18 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या **01 दिनांक 05.09.2019** में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत पट्टा शूल्क 200.00/– रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। आवेदन शुल्क 120/– रुपये जरिये रसीद संख्या 12 दिनांक 13.07.2017 जमा करके पत्रावली दायर की गई। आज्ञाओ की सूची में भूमि किस्म का प्रमाण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 481/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम मंगलसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्राप्त करने का लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ लगा हुआ नहीं है। वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण कमेटी रिपोर्ट में मौके की स्थिति का उल्लेख किया हुआ नहीं है। नियम 148 में मौका दिनांक 05.07.2019 आपत्ति मांगने के सूचना पत्र प्रारुप–22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षों के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान लगे हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर मकान निर्मित है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में पट्टा धूलसिंह पुत्र लाखसिंह के नाम से 11.12.68 में पट्टा क्रमांक 54 बना हुआ है जिसमें बतायी गई चतुर्दर्शी बाबत् लोगो से पूछताछ करने पर वर्तमान मकान का पट्टा होना बताया गया जिनको ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पूर्व में जारी पट्टा निरस्त करवाये बिना ही पुनः पट्टा जारी कर दिया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.09.2019 की वैद्धता, शुद्धता एवं मौलिकता के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली ने उपस्थित होकर वक़्त बहस निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि का पूर्व में दिनांक 11.12.1968 को एक पट्टा श्री धूलसिंह पुत्र लाखासिंह के नाम से जारी हो रखा है और ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा अवैधानिक ढंग से पट्टाशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी किया गया, जिसे इस निगरानी के माध्यम से अपास्त करने हेतु चुनौति दी गई है। यह भी, कि आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 47 जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा इत्यादि के सम्बन्ध में साक्ष्य लिए बिना ही मात्र सरपंच के अंकन के आधार पर नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया तथा आपत्तियाँ आमंत्रित करने सम्बन्धि प्रक्रिया की भी पूर्ण पालना नहीं की गई है, अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य पट्टा विलेख को निरस्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा अपने क्षेत्राधीन आबादी भूमि में सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए वैध पट्टा जारी किया है तथा स्वयं प्रार्थी ने याचिका में स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का मकान निर्मित है। अतः बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत की गई हस्तगत निगरानी याचिका को खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 481/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम मंगलसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थी द्वारा मिसल संख्या 190/2017–18 में जारी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 47 को प्रमुखतः दो आधारो पर चुनौति दी गई है:–

1. आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि पूर्व में दिनांक 11.12.1968 को एक पट्टा श्री धुलसिंह पुत्र लाखसिंह के नाम से जारी है तथा पट्टाशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी करना अनुमत नहीं है।
2. आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा कब्जे इत्यादि के सम्बन्ध में साक्ष्य लिए बिना तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पूर्णतः पालना किए बिना ही सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई।

प्रथमतः आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड का पूर्व में दिनांक 11.12.1968 को पट्टा जारी होने सम्बन्धि अपने कथन के समर्थन में प्रार्थीपक्ष द्वारा उक्त पूर्व पट्टे की प्रति याचिका के सलंग्न प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी इसके खण्डन हेतु कोई लिखित आपत्ति अथवा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है किन्तु यह प्रार्थीपक्ष का दायित्व है कि याचिका में अंकित कथनों की पुष्टि हेतु न्यायालय के विचारार्थ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे। अतः विवादग्रस्त भूखण्ड का पूर्व में पट्टा जारी होने बाबत कथन दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध नहीं पाया जाता है।

द्वितीयतः, आलोच्य पट्टा विलेख के विरुद्ध प्रक्रियात्मक आक्षेपों की विवेचना हेतु प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 190/2017–18 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते है:–

1. सम्पूर्ण मिसल में अप्रार्थी श्री मंगलसिंह की ओर से पट्टा बनाने हेतु कोई आवेदन सलंग्न नही है और न ही आवेदनशुल्क तथा नक्शा शुल्क जमा करने के प्रमाणस्वरुप कोई रसीद ही सलंग्न है। सुनवाई के दौरान अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः याचीपक्ष का यह तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1956 के नियम 145 की पालना किए बिना ही ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 190/2017–18 कायम की जाकर कार्यवाही निष्पादित की गई है।
2. सम्पूर्ण मिसल में पूर्वोक्त नियम, 1996 के नियम 146 की पूर्वापेक्षा में स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों के मनोननयन का कोई आदेश सलंग्न नहीं है, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर भी सरपंच के अतिरिक्त किन्हीं दो व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर है।
3. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में यह आज्ञापक रुप से उपबन्धित है कि आपतियां आमंत्रित करने के नोटीस पर चस्पानगी की तस्दीक के रुप में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हस्तगत मिसल में सलंग्न आपत्ति इश्तिहार प्रारुप–22 नियम 148 पर न तो दिनांक अंकित है और न ही चस्पानगी की तस्दीक किसी व्यक्ति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा की गई है, अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि आलोच्य मिसल में नियम 148 की पालना नही की गई है।

4. आलोच्य पट्टा नियम 157 में जारी किया जाना निर्विवाद है राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में नियमों के प्रारम्भ से पचास वर्ष तथा 31.12.2016 से सत्तर वर्ष पूर्व की अवधि के निर्मित गृह/मकान के विनियमितिकरण का प्रावधान है, किन्तु हस्तगत मिसल संख्या 190 में प्रत्यर्थी के हक में पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व उक्त अवधि के कब्जे बावत् कोई साक्ष्य, यथा गवाहों/पडौसियों के बयान आदि नहीं लिये गए एवं सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा बिना किसी वैध आधार के 60 वर्ष पूर्व का कब्जा होना अंकित करते हुए नियम 157 में पट्टा विलेख निष्पादित करने का निर्णय लिया गया, जो कि अवैधानिक तथा शून्यकरणीय है।

इस प्रकार मिसल संख्या 190/2017–18 के अवलोकन से यह निर्विवाद रुप से स्पष्ट हो जाता है कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145, नियम 146 तथा नियम 148 में उपबन्धित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है तथा कब्जे इत्यादि की सम्यक् जाँच किये बिना ही पूर्वोक्त नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृह के विनियमितिकरण के रुप में आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 47 निष्पादित किया गया है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 190/2017–18 में पारित संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 तथा इसके अनुसरण में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 47 दिनांक 13.09.2019 बज़तरफ श्री मंगलसिंह अपास्त किये जाते है। साथ ही प्रकरण ग्राम पंचायत दूदनी को निर्देश दिए जाते है कि रिकॉर्ड इत्यादि से इस तथ्य की जाँच करे कि क्या आलोच्य भूखण्ड का पूर्व में पट्टा निष्पादित है अथवा नहीं, तथा पूर्व में पट्टा जारी नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थी संख्या एक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए नये सर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दूदनी को यह भी निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किये गए आलोच्य पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.09.2019 की मूल कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को सरे इज़लास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अन्य किसी प्रकरण में आवश्यक नहीं होने पर पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली

Scanned with OKEN Scanner